दिनांक 01.02.2022 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, भू-तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्री मनमोहन गोयल, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री कृष्ण सहरावत, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री धर्मेन्द्र गुलिया पप्पन, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती गीता, सदस्य वार्ड नं0-05, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं0 06, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री मनोज कुमार, सदस्य वार्ड नं0-07, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री सुनिल कुमार, सदस्य वार्ड नं0-08, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री जयभगवान, सदस्य वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री राहुल देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री कदम सिंह अहलावत, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती मंजू हुड्डा, दस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती कंचन, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री राधेश्याम, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री गुलशन कुमार ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती डिम्पल, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री राजकमल सहगल, वरिष्ठ उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0 17, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती दीपिका, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
18. श्रीमती मुक्ता, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्री अनिल कुमार, उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।
20. श्रीमती संतोष, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक।
21. श्री आदेश सक्सेना, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
22. श्री अमित बंसल, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
23. श्री राजेश सैनी, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत किया तत्पश्चात् दिनांक 20.09.2021 की बैठक के पश्चात् किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त होने वाले समस्त नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई।

इसके उपरांत बैठक प्रारम्भ करते हुए निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया गया:-

मद सं0	मद	कार्यवाही रिपोर्ट
1	दिनांक 08.04.2021 को हुई सदन की बैठक पर कार्यवाही रिपोर्ट की पुष्टि करने बारें।	सदन में अवगत करवाया गया कि दिनांक 08.04.2021 के बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट सभी सदस्यगण को भिजवा दी गई थी। सदन में इस कार्यवाही रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई तथा बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2	सभी पार्षणगण के दो-दो बोर्ड तथा विभिन्न महापुरूषों, संस्थाओं आदि के बोर्ड लगाने बारें।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पार्षणगण के केवल दो-दो स्टील के बोर्ड लगवाये जायें व जिस पार्षद का पूर्व मे एक बोर्ड ही लगा हुआ है उनका एक और बोर्ड लगवा दिया जाये। इसके अतिरिक्त विभिन्न महापुरूषों, संस्थाओं आदि के लोहे के बोर्ड पार्षदगणों की गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत लगवाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया

इसके उपरांत निम्नलिखित एजेन्डो पर विचार विमर्श किया गया:-

क्र0 सं0	एजेन्डा	कार्यवाही रिपोर्ट
1	नगर निगम की दिनांक 15.10.2020 को हुई सदन की बैठक के बिन्दु नं.03 में सोनीपत रोड स्थित नगर निगम की भूमि पर बनाई जाने वाली दुकानों के सम्बंन्ध में व बेचने बारे सरकार से पत्राचार करने बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में पुनः महापौर महोदय, आयुक्त महोदय व अन्य अधिकारियों द्वारा गहनता से विचार विमर्श करते हुए तथा नगर निगम को और वित्तीय लाभ कैसे प्राप्त हो एवं नगर निगम का कार्यालय तथा सामूदायिक केन्द्र इत्यादि का निर्माण इसी धनराशि से किया जाये, पर गहन मंथन हुआ तथा संशोधित प्रस्ताव निम्नप्रकार से प्रस्तावित है:- नगर निगम की कुल भूमि लगभग 9800 वर्गगज जोकि खसरा/किला नम्बरान 11351/11001/8138 मिन एवं 119 मिन क्रमशः मौजा रोहतक व पाडा में स्थित है। जिसमें से लगभग 3700 वर्गगज भूमि को सरकार से राजस्व एवं आपदा प्रबन्धक विभाग की पालिसी दिनांक 06 जुलाई 2021 के तहत भूमि बेचने हेतू विधिवत रूप से केस सरकार को भेजा जा सकता है, जिसमें लगभग 40 करोड रूपये आमदनी आने की संभावना है और बाकी बचे रकबे में इसी धनराशि से नगर निगम का बहुमंजिला कार्यालय एवं सामुदायिक केन्द्र तथा कुछ रकबा Rental Income के लिए तैयार हो सकता है। जिससे कि एक ही छत के नीचे आमजन के सभी कार्य हो सकेंगे तथा इस क्षेत्र के आस-पास की कालोनियो के वासियों को सामुदायिक केन्द्र की सुविधा भी मिल सकेगी। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

सदन की बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकारीगण पार्षदो द्वारा लगाये गये आरोपो के बाद बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के सदन की बैठक को छोड कर चले गये। उनके इस व्यवहार की सदन द्वारा निंदा की गई व सभी पार्षदो ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता व अन्य अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु महापौर महोदय को अनुशंसा पत्र दिया।

तत्पश्चात् महापौर महोदय द्वारा बैठक स्थगित करते हुए शेष कार्यवाही के लिए दिनांक 02.02.2022 को दोपहर 12:00 बजे पुनः बैठक करने बारे निर्णय लिया गया।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक 01/02/2022

क्रमांक MCR/Mayor/2022/667-673

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
6. सभी शाखा प्रभारी, नगर निगम, रोहतक।
7. निजी सहायक आयुक्त नगर निगम को आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।